



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

Project Implementation Unit-Ambala / परियोजना कार्यान्वयन इकाई-अम्बाला

#16, Prem Nagar, Ambala City -134003, Haryana

#16, प्रेम नगर, अम्बाला शहर - 134003, हरियाणा

दूरभाष / Phone:- 0171-2520361; ई-मेल / E-mail:- amb@nhai.org & piuambala@gmail.com



28006/NHAI/AMB/433

दिनांक: 11th May, 2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी

कुरुक्षेत्र, वन प्रमण्डल

पिपली कुरुक्षेत्र, हरियाणा

विषय:- Diversion of 7.663 Ha. Forest Land Development of 4/6 lane green field highway starts from Jalbehra (km 00.000) near Ismailabad to Patti Kankra (km 22.850) near Shahbad in the State of Haryana under Bharatmala Pariyojana (Lot 6/ Package 6) under forest division and district Kurukshetra, Haryana (Online Proposal No. FP/HR/ road/151373/2022): **Compliance of In-principal approval- regarding.**

Ref: MoEFCC, IRO, Chandigarh's letter No. 9-HRC-014/2023-CHA, dated 10th April 2023

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय एवं संदर्भित पत्र का संज्ञान लेवें, जिसके द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ 7.663 हेक्टेयर वन भूमि कोपरियोजना के लिए सैद्धांतिक अनुमति प्रदान कर चुका है, जिसका बिंदुवार अनुपालन निम्नलिखित है:

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-

Sr. No.	Conditions stipulated in In-principal approval	Compliance by User Agency
1	प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।	परिवेश पोर्टल से उत्पन्न NEFT/RTGS ई-चालान के माध्यम से कुलराशि 17,748,625/-रूपए हरियाणा CAMPA खाते में जमा की गई है, जिसमें से 96,13,785/- रूपए CA स्कीम के मद में जमा किये गए हैं। जिसका UTR No.CNRBR52023050 454883840 dated 04.05.2023 भुगतान की रसीद Annexure-I में संलग्न है।
2	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि 7.663 हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्यू जमा करवाई जाये।	परिवेश पोर्टल से उत्पन्न NEFT/RTGS ई-चालान के माध्यम से कुल राशि 17,748,625/-रूपए हरियाणा CAMPA खाते में जमा की गई है, जिसमें से 73,39,468/-रूपए NPV स्कीम के मद में जमा किये गए हैं। जिसका UTR No.CNRBR52023050 454883840 dated 04.05.2023 भुगतान की रसीद Annexure-I में संलग्न है।
3	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।	सहमत

Signature

4	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी।	सहमत
5	प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एन पी वी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किये जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किये जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-1 clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।	सहमत
6	प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-1 पहले ही स्वीकृति किया जा चुका है, S-1 अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि " इस मंडल के पास S-1 अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है " प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा।	Undertaking in Annexure-II संलग्न है
7	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा।	FRA 2006 पूर्ण अनुपालन किया गया है, इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर कुरुक्षेत्रका प्रमाण पत्र मूल प्रति में Annexure- III संलग्न है।
8	वन मंडल अधिकारी यह लिखित आश्वासन (undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।	वन विभाग से सम्बंधित है।
9	नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह लिखित आश्वासन (undertaking) देंगे कि इस कार्यालयद्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मंडल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।	वन विभाग से सम्बंधित है।

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

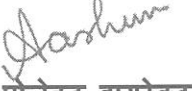
Sr. No.	Conditions stipulated in In-principal approval	Compliance by User Agency
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।	सहमत
2	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।	सहमत

3	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार, 15,326 पौधे लगाकर degraded वन भूमि RF Badason Ract. No. 40, 51, 52, 54, 55, 61 & 62 in Tehsil - Pehowa, District- Kurukshetra पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।	वन विभाग से सम्बंधित है।
4	वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।	वन विभाग से सम्बंधित है।
5	नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मंडल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।	वन विभाग से सम्बंधित है।
6	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी।	वन विभाग से सम्बंधित है।
7	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।	सहमत
8	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।	सहमत
9	एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।	सहमत
10	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।	सहमत
11	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।	सहमत
12	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।	सहमत
13	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी।	सहमत
14	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	सहमत

Handwritten signature

15	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।	सहमत
16	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेंगी।	सहमत

Encl.: As above


प्रोजेक्ट डायरेक्टर
PIU अम्बाला

Copy to:-

- (i) The Regional Officer, NHAI Chandigarh.:- for kind information please.
- (ii) Addl. PCCF-cum-Nodal Officer (FCA) Haryana.:- for kind information and necessary action please.
- (iii) Concessionaire M/s Ceigall Jalbehra Shahbad Greenfield Highway Pvt. Ltd.:- for necessary coordination with concerned department please.

666474/2023/PIU- BHIWANI

AGENCY COPY

Union Bank

NEFT/RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 17-04-2023

Agency Name.	National Highways Authority of India
Application No.	61151373816
MoEF/SG File No.	9-HRC014-2023-CHA
Location.	HARAYANA
Address.	House Number - 1397p, HUDA Sector - 13, BhiwaniBhiwani
Amount(in Rs)	17748625/-

Amount in Words: One Crore Seventy-Seven Lakh Forty-eight Thousand Six Hundred and Twenty-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details:

Beneficiary Name:	HARAYANA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506961151373816 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through even after 7 working days, then kindly mail a copy to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, opub@ubin0903710@unionbankofindia.bank

Am (R&A)

8
04 MAY 2023
52023050454883
840
04



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

Project Implementation Unit-Ambala / परियोजना कार्यान्वयन इकाई-अम्बाला

#16, Prem Nagar, Ambala City -134003, Haryana

#16, प्रेम नगर, अम्बाला शहर - 134003, हरियाणा

दूरभाष / Phone:- 0171-2520361; ई-मेल / E-mail:- amb@nhai.org & piuambala@gmail.com



Annexure-II

Project: Development of 4/6 lane green field highway starts from Jalbehra (km 00.000) near Ismailabad to Patti Kankra (km 22.850) near Shahbad in the State of Haryana under Bharatmala Pariyojana (Lot 6/ Package 6) (Online Proposal No. FP/HR/ROAD/151373/2022)

Undertaking

This is to certify that no compliance of In-principal (stage-I FC) approval granted by Govt. of India, MoEFCC, IRO Chandigarh to any NHAI project is pending under Kurukshetra Forest Division, Kurukshetra, Haryana.


Project Director
Signature & Seal

No. 2356 /MAI

Dated: 12/09/22

**COMPLIANCE OF THE SCHEDULED TRIBES AND OTHER
TRADITIONAL FOREST DWELLERS (RECOGNITION OF FOREST
RIGHT) ACT, 2006.**

**(CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE CONCERNED DEPUTY
COLLECTOR)**

**TITLE OF THE CASE/PROJECT: Diversion of 7.663 ha. of
Forest land for Green Highway starts from jalbehra (KM 0.000)
Near Ismailabad to Patti Kankra (KM 22.850) near Shahbad in
the State of Haryana under Bharatmala priyojana under Forest
Division & Distt. Kurukshetra. District/ Forest Division falls
within jurisdiction of Kurukshetra.**

It is certified that the forest land proposed to be diverted is plantation which
was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December, 2005
and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as
per the Census-2001 and the Census-2011.

Raj
Divisional Forest Officer,
Kurukshetra Forest Division,
Kurukshetra

Hemant
Collector Kurukshetra
(Full name and official seal
Of the District Collector)